# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्या:–78 / 2024

**वादपत्र अन्तर्गत धारा:– 88 आर.टी.ए.**

1. सतनाम सिह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 05, 30 SSW फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. गुरध्यान सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी पिण्ड मलन, जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)

– वादीगण

**बनाम्**

1 सुखदेव सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 05, 30 एसएसडब्लयू, वीपीओ फतेहगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

2 वीरपाल कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह पत्नी श्री गुरप्रीत सिह जाति जटसिख निवासी कोठे संता सिंह वाले, जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब)

3 वीरपाल कौर पुत्री श्री सुखदेव सिह पत्नी श्री तरसेम सिंह जाति जटसिख निवासी गुरी संगर जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)

4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री शिवराज सिंह खौसा – अधिवक्ता वादीगण
2. श्री श्रवण कुमार सोलंकी प्रतिवादी सं. 1 ता 3

## –:निर्णय:–

दिनांक 26/03/2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि जो शीर्षक वाद पत्र में निवेदित किया गया है। वाद पत्र की नोईयत को समझने के लिए वादीगण एंव प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है –

सुखदेव सिंह

वीरपाल कौर (पुत्री) | वीरपाल कौर (पुत्री) | सतनाम सिंह (पुत्र) | गुरध्यान सिंह (पुत्र)

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक नम्बर 28 एसएसडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 125/27 खाता सुखदेव सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 104/314 (19) किला नम्बर 11, 12, 13/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 16/1/.203, 16/2/.025, 16/3/.025, 17 ता 24/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 25/1/.203, 25/2/.025, 25/3/.025, पत्थर नम्बर 105/314 (20) किला नम्बर 13, 14, 17 ता 25/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 6.072 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि पूर्व में वाद पत्र की मद सख्या 2 में दर्ज आराजी [illegible] कुछ आराजी प्रतिवादी सख्या 1 के पिता मंगल सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो [illegible] सख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुई है तथा कुछ आराजी जरिये [illegible] हुई है, इस कारण वाद पत्र की मद सख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी [illegible]तः जद्दी जायदाद साबित होती है तथा जद्दी जायदाद आराजी में कॉ–पार्सनर होने के नाते वादीगण व प्रतिवादी सख्या 2 व 3 का जन्म से प्रतिवादी सख्या 1 के साथ हक हिस्सा व अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की शादी प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा अच्छा दान दहेज अच्छे घरानो में की हुई है। प्रतिवादी सख्या 2 व 3 ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से अर्सा दराज पूर्व वादग्रस्त आराजी में अपने हक व हिस्सा को वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 के पक्ष में तर्क किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:34:51 IST
Reason: SelfAttested

यह कि दफा 2 वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें प्रतिवादी सख्या 2 व 3 के हक त्याग उपरान्त वादीगण एंव प्रतिवादी सख्या 1 का अर्सा दराज पूर्व अच्छी मन्दी भूमि के अनुसार घराघरू बंटवारा हो चुका है, जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए घरू बंटवारा किया हुआ है, जो निम्न प्रकार है –

(क) <u>हिस्सा वादी सख्या 1 सतनाम सिंह</u> – चक नम्बर 28 एसएसडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 125/27, खाता सुखदेव सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 105/314 (20) किला नम्बर 13, 14, 17 ता 22/.253 हैक्टेयर कुल 2.024 हैक्टेयर आराजी।

(ख) <u>हिस्सा वादी सख्या 2 गुरध्यान सिंह</u> – चक नम्बर 28 एसएसडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 125/27, खाता सुखदेव सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 104/314 (19) किला नम्बर 11, 12, 13/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 18 ता 22/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, कुल 2.024 हैक्टेयर।

(ग) <u>हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 सुखदेव सिंह</u> – चक नम्बर 28 एसएसडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 125/27, खाता सुखदेव सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 104/314 (19) किला नम्बर 16/1/.203, 16/2/.025, 16/3/.025, 17, 23, 24/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 25/1/.203, 25/2/.025, 25/3/.025, पत्थर नम्बर 105/314 (20) किला नम्बर 23 ता 25/.253 हैक्टेयर कुल 2.024 हैक्टेयर।

उक्तानुसार वादीगण वाद पत्र की मद सख्या 2 में दर्ज आराजी की वाद पत्र की मद सख्या 4 (क) व (ख) के अनुसार घोषणा प्राप्त कर खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादीगण मुताबिक घराघरू बंटवारा अनुसार अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादीगण के हितो पर विपरित प्रभाव पड रहा है तथा वादीगण समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही वितीय सुविधा का लाभ तथा कृषि भूमि को रहन, बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रहे है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी सख्या 1 को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादी सख्या 1 ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 ने राजीनामा मुताबिक वाद पत्र के पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली कर प्रदशः 1, 2, 3 करवाए गए।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया, उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के वाद पत्र डिक्री [illegible] का निवेदन किया। राजीनामा पेश होने के कारण न्यायालय के मत में दोनो [illegible] विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए [illegible] राजीनामा के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:34:51 IST
Reason: SelfAttested

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाकर निम्न प्रकार से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है किः–

(क) **हिस्सा वादी सख्या 1 सतनाम सिंह**– चक नम्बर 28 एसएसडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 125/27, खाता सुखदेव सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के

कलक्टर
खण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

पत्थर नम्बर 105/314 (20) किला नम्बर 13, 14, 17 ता 22/.253 हैक्टेयर कुल 2.024 हैक्टेयर आराजी।

**(ख) हिस्सा वादी सख्या 2 गुरध्यान सिंह–** चक नम्बर 28 एसएसडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 125/27, खाता सुखदेव सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 104/314 (19) किला नम्बर 11, 12, 13/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 18 ता 22/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, कुल 2.024 हैक्टेयर।

**(ग) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 सुखदेव सिंह–** चक नम्बर 28 एसएसडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 125/27, खाता सुखदेव सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 104/314 (19) किला नम्बर 16/1/.203, 16/2/.025, 16/3/.025, 17, 23, 24/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 25/1/.203, 25/2/.025, 25/3/.025, पत्थर नम्बर 105/314 (20) किला नम्बर 23 ता 25/.253 हैक्टेयर कुल 2.024 हैक्टेयर। इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 सुखदेव सिंह का हिस्सा कम करने के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी सं. 2, 3 ने अपना हक व हिस्सा राजीनामा में वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो वसूल करेंगे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/24 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:34:51 IST
Reason: SelfAttested